जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.221)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2018/डी–1635 दिनांक : 06.6.2018

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 221वीं बैठक दिनांक 28.05.2018 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	221.1	कार्यकारी समिति की 220वीं बैठक दिनांक 11.05.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 220वीं बैठक दिनांक 11.05.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया।	
2.	221.2	ग्राम गोनेर के विकास हेतु कस्बे की सड़को की चौड़ाई 40 फीट करने हेतु तोड़े गये हितधारियों/पुनर्वासितों को व्यावसायिक दुकान आवंटन की दर निर्धारण के सम्बन्ध मे।	ग्राम गोनेर के विकास हेतु कस्बे की सड़कों की चौड़ाई 40 फीट करने के लिए तोड़े गये हितधारियों/पुनर्वासितों को व्यावसायिक दुकान आवंटन की दर निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार ग्राम गोनेर से हटाए गए प्रभावितों को आवासीय आरक्षित दर रूपए 10000/– प्रति वर्गमीटर समायोजन करने के उपरांत व्यावसायिक रामचन्द्रपुरा की आवासीय आरक्षित दर रूपए 32000/– प्रति वर्गमीटर कम करने के पश्चात रूपए 22000/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन–9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
3.	221.3	निजी खातेदारी योजना तेजस्वी ग्रीन्स के भूखण्ड सं. ई-9 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात निजी खातेदारी योजना तेजस्वी ग्रीन्स के भूखण्ड सं. ई-9 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-12
4.	221.4	आनन्द लोक योजना में भूखण्ड संख्या ई-307 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आनन्द लोक योजना में भूखण्ड संख्या ई-307 के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को विस्तृत विवरण सहित राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
5.	221.5	अपोलो एनक्लेव आवासीय योजना में EWS भूखण्ड E/19 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात अपोलो एनक्लेव आवासीय योजना में EWS भूखण्ड E/19 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल	उपायुक्त जोन-11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
6.	221.6	सांगानेर फ्लाई ओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर टोंक रोड की बायी तरफ सर्विस सडक पर स्थित दुकान हटाने से प्रभावित हुये व्यक्यिों को मुआवजा में व्यावसायिक दुकान दिये जाने की दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	सांगानेर फ्लाई ओवर से सीतापुरा फ्लाई ओवर टोंक रोड की बाईं तरफ सर्विस सड़क पर स्थित दूकान एवं अतिक्रमण हटाने से प्रभवित हुए व्यक्तियों/हितधारियों का प्रकरण पूर्व में कार्यकारी समिति की 211वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 में रखा गया था जिसमें आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु उक्त हितधारियों को किस दर पर भूखण्ड संख्या सी-2 में दूकान का आवंटन किया जावे एवं हितधारियों को स्ट्रक्चर्स राशि का भुगतान दिया जावे। विचार-विमर्श पश्चात पश्चात यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध भूखण्ड (अर्थात प्रत्येक दूकान क्षेत्रफल 18 व. मी.) के 50 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल वालों को केवल स्ट्रक्चर्स मुआवजा राशि देय होगी एवं उपलब्ध भूखण्ड के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल वाले को भूखण्ड आवंटन वर्तमान आरक्षित दर पर किया जावेगा एवं बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर की दुगुनी दर से ली जावेगी। उपलब्ध भूखण्ड के 50 प्रतिशत से अधिक आवंटन पर केवल शेष क्षेत्रफल के लिए ही स्ट्रक्चर्स मुआवजा राशि देय होगी।	उपायुक्त जोन-9
7.	221.7	निजी खातेदारी की समूह आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी	विचार-विमर्श पश्चात योजना मंगलम आनन्दा में उपलब्ध ईडब्ल्यूएस/एलआईजी	उपायुक्त जोन-8

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		2009 के मॉडल 1 (बी) के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209 से 219, 221 से 224 योजना मंगलम आनन्दा में उपलब्ध ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के फ्लेट संख्या एल/1/7 के स्वतः निरस्त आवंटन को बहाल करने बाबत।	के फ्लेट संख्या एल/1/7के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
8.	221.8	Approval of agenda for relaxing the clause 6.2 (a) (i) of the agreement regarding nonpayment for the next stage till the work pertaining to previous stage has been completed.	विचार–विमर्श Contract agreement के clause 6.2(a)(i). में शिथिलता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा कार्य के किसी स्तर को स्थगित करने पर अग्रिम स्तर का भुगतान कर दिया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
9.	221.9	EX-post facto approval of bid for the work "Construction of New 3 Lane ROB Parallel to Existing Jhotwara ROB from Panchayat Bhawan/SBBJ bank to Ambabari T Junction, Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात of "Construction of New 3 Lane ROB Parallel to Existing Jhotwara ROB from Panchayat Bhawan/SBBJ bank to Ambabari T Junction, Jaipur" के लिए न्यूनतम दरदाता M/s TRG Industries Pvt. Ltd. के पक्ष में उक्त कार्य के लिए "G-Shedule" पर 2.80% अधिक दर पर राशि रूपए 1,08,42,81,267.10 एवं Non BSR amount रूपए 31,59,276.50 कुल रूपए 1,08,74,40,544.60 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
10.	221.10	Approval of bid & ex-post facto approval to undertake negotiation for the work "Construction of Limited Height Subways (LHS) near Pradhan Marg on JP-Delhi Railway line Malviya Nagar Jaipur".	विचार–विमर्श पश्चात of "Construction of Limited Height Subways (LHS) near Pradhan Marg on JP-Delhi Railway line. Malviya Nagar Jaipur" के लिए न्यूनतम दरदाता Shree Ram Kripa Construction से नेगोसिएशन करने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं न्यूनतम दरदाता Shree Ram Kripa Construction के पक्ष में उक्त कार्य के लिए "G-Shedule" पर 6.86% अधिक दर पर राशि रूपए 8,47,83,678.02 एवं Non BSR amount रूपए 2,95,69,744.50 कुल राशि रूपए 11,43,53,422.02 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
11.	221.11	Reg Organizing a promotional cultural month at amphitheater, Ram Niwas Bagh.	विचार–विमर्श पश्चात रामनिवास बाग़ में निर्मित एम्पी थियेटर में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 'कला प्रोत्साहन माह' के आयोजन एवं वहां जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य की एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। एम्पी थियेटर के संचालन बाबत 'सलाहकार समिति' के गठन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। समिति के सदस्यों को चयनित करने के लिए समिति द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रथम)
12.	221.12	मसाला चौक रामनिवास बाग, जयपुर स्थित कियोस्क में से एक	विचार–विमर्श पश्चात मसाला चौक रामनिवास बाग, जयपुर स्थित कियोस्क में	वन संरक्षक

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		कियोस्क संख्या 23 राजस्थान कारागृह को आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकति बाबत।	से एक कियोस्क संख्या 23 राजस्थान कारागृह को आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकति प्रदान की गई।	
13.	221.13	श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह अधिशाषी अभियन्ता को पूर्व में आवंटित प्राधिकरण आवास संख्या ए-8 लालकोठी, जयपुर का आवंटन बहाल करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह अधिशाषी अभियन्ता को पूर्व में आवंटित प्राधिकरण आवास संख्या ए-8 लालकोठी, जयपुर का आवंटन सामान्य किराया के तीन गुना किराया लिए जाने की शर्त पर बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
14.	221.14	मसाला चौक, रामनविास बाग में शेष रहे 7 कियोस्कों के आवंटन हेतु बिड डॉक्यूमेंट अनुमोदन हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात मसाला चौक, रामनिवास बाग में शेष 7 कियोस्क तीन वर्ष किराया लाईसेंस पर दिए जाने एवं इसके लिए प्रस्तुत बिड आवेदन डॉक्यूमेंट का अनुमोदिन किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि मसाला चौक में पूर्व में किराए पर दिए गए 22 कियोस्क को आम नागरिकों द्वारा बहुत अच्छा response दिया गया है। अतः समिति द्वारा इन 7 कियोस्क की किराया राशि बढ़ाकर रूपए 20,000/- प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
15.	221.15	Permission for calling negotiation from lowest bidder in tender for "Construction of bituminous sector roads in PRN North, JDA, Jaipur phase-I Part-A (ARC)".	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of bituminous sector roads in PRN North, JDA, Jaipur phase-I Part-A (ARC)" के लिए नेगोसिएशन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण प्रकरण को सक्षम समिति	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय किये जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
16.	221.16	ग्राम केशोपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर में अजमेर रोड से सिरसी रोड को जाने वाली सेक्टर प्लान 56 की 200 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु ली जाने वाली भूमि से प्रभावित खातेदारों को अन्य जगह भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात अजमेर रोड से सिरसी रोड को जाने वाली सेक्टर प्लान 56 की 200 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु जो भूमि किसानों द्वारा समर्पित की गई है उनको एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावानुसार रिंग रोड पर 20 प्रतिशत मिश्रित भू–उपयोग की भूमि (ग्राम अचरावाला के भूखण्ड क्षेत्रफल 34305.99 वर्गमीटर) दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन–11
17.	221.17	Approval of EC regarding accepting PBG amounting to Rs. 41,27,063/-(@10% amount of the total cost to be paid) of M/s Reliance Communications Ltd.- ISP partner for Phase- 2 Smart City project- against the work of P2P connectivity &BW cost for the project and refund of amount deducted in the running bills against PBG.	विचार–विमर्श के दौरान निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कार्यकारी समिति द्वारा एजेण्डा संख्या 213.10 में यह निर्णय लिया गया था कि PBG के एवज में रिलायंस के बिलों में से 10% की कटौती की गई थी, जिसके लिए मुख्य अनुबंधकर्ता मैसर्स स्टरलाईट से PBG ली जावे तथा कटौती की गई राशि का रिफण्ड रिलायंस को किया जावे। समिति द्वारा उक्त निर्णय की पुनः समीक्षा की गई तथा विचार–विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि TRAI की गाईडलाईन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिलायंस को सीधे ही भुगतान किया जा रहा है, जिसके लिए	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रिलायंस से ही PBG ली जावे तथा उसके बिलों में से काटी गई राशि का रिफण्ड कर दिया जावे। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि यह एक विशेष प्रकृति का प्रकरण होने से अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि यह निर्णय अन्य प्रकरणों के लिद दृष्टांत नहीं रहेगा।	
18.	221.18	Agenda note for approval of decision taken in First Appellate Authority, JDA jaipur on dated 15.01.2018 regarding for the work of "Rate Contract for construction of Rain Water Harvesting Structure at various locations under PHE-I/II/III, JDA , Jurisdiction with One year defect liability reriod followed by operation and maintenance for Two years" amounting to Rs. 2,01,65,967.00	प्रकरण में संवेदक द्वारा समय पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं करने के कारण संवेदक के विरूद्ध अनुबन्ध की धारा अनुसार निविदा निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। संवेदक द्वारा विभाग के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील की गई। संवेदक द्वारा मूल समयावधि तक के समय में ही कार्य पूर्ण करने के लिखित आश्वासन के पश्चात प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निविदा निरस्तीकरण एवं संवेदक के विरूद्ध की गई कार्रवाई वापस ली गई। चूंकि अनुबन्ध/RTPP Rules, 2013 में इस प्रकार के प्रकरण में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण समिति के समक्ष प्रकरण रखा गया। विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
19.	221.19	Payment of price variation as per the work executed during the quarter on the respective index up to stipulated date of completion and thereafter as per approval of time extension case.	विचार–विमर्श पश्चात समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के क्रम में price variation के किए गए भुगतान की पुष्टि करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

(दीपक नन्दी)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 221वीं बैठक दिनांक 28.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक नन्दी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3.	श्री एच. के जुनेजा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री रामप्रकाश शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (लाईन)	आयुक्तालय, पुलिस, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री दीपक शर्मा	अधिशाषी आभियंता (सी.डी.IV)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री कमल पारीक	महाप्रबन्धक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री अनिल गुप्ता	अधिशाषी अभियंता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री ओ.पी. बुनकर	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री एस.जेड. शाहिद	विशेषाधिकारी (आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री वीरेन्द्र सिंह सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री सत्यप्रकाश कस्वाँ	उपायुक्त जोन-7 एवं 8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री राम नारायण बडगूजर	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री भागीरथ हावा	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री एन. के. सिंहल	अधीक्षण अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री एम. एल. मीणा	अधीक्षण अभियंता (उद्यान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियंता (आर.ओ.बी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री एस. सी. मीणा	अधीक्षण अभियंता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
21.	श्री संजय शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री अजय प्रताप सिंह राठौड	अधिशाषी अभियन्ता (आरओबी/आरयूबी–V)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री पी. के. व्यास	अधिशाषी अभियन्ता (पीआरएन– उत्तर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सुनील व्यास	अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान–I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री मुकेश कुमार मीणा	अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई–I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री मनोज सिंह	अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई–II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री विवेक शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट–I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.221)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2018/डी–1635 दिनांकः 06.6.2018

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
8	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
9	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर